"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2017—वैशाख 22, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 509/03/RTI/2017/1-8/स्था.—श्री जेवियर केरकेट्टा, तत्कालीन अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वर्तमान में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का दिनांक 13-05-2013 से 27-05-2013 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्रमांक 525/LV-CMS-31-2017-Jan./1-8/स्था.—श्री आनंद राम रात्रे, उप संचालक (रा.वि.से.), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 02-02-2017 से 15-02-2017 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आनंद राम रात्रे आगामी आदेश तक उप संचालक, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आनंद राम रात्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनंद राम रात्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2017

क्रमांक 533/LV-35-4-2017-Jan./1-8/स्था.—श्री अब्बास खान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मछली पालन एवं पशुपालन विकास विभाग को दिनांक 13-02-2017 से 20-02-2017 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अब्बास खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुपालन एवं मछली पालन विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अब्बास खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अब्बास खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2017

क्रमांक 547/LV-1-149-2017-Feb./1-8/स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 14-02-2017 से 17-02-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी आगामी आदेश तक में लेखाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) में पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री युसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. युसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2017

क्रमांक 557/LV-1-129-2017-Feb./1-8/स्था.—श्री आर. पी. राठिया, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 01-03-2017 से 04-03-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. राठिया आगामी आदेश तक उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. पी. राठिया, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2017

क्रमांक 559/LV-32-3-2017-Jan./1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 20-02-2017 से 04-03-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एल. सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. एल. सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एल. सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2017

क्रमांक 573/LV-43-3-2017-Jan./1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को दिनांक 20-02-2017 से 04-03-2017 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय, आगामी आदेश तक में उप सचिव के पद पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक 585/LV-4-56-2017-Feb./1-8/स्था.—श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, शोध अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 27-02-2017 से 28-02-2017 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुलश्रेष्ठ, आगामी आदेश तक शोध अधिकारी वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अतुल कुलश्रेष्ठ को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल कुलश्रेष्ठ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2017

क्रमांक 603/LV-55-24-2017-March./1-8.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का दिनांक 22-03-2017 से 23-03-2017 तक 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्रमांक 649/74/2017/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 211/444/2014/1-8 दिनांक 31-01-2017 के अनुक्रम में श्री जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग का दिनांक 08-02-2017 से 17-02-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें कण्डिका-2, 3 एवं 4 यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

क्रमांक 587/233/2017/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, तत्कालीन अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

लघुकृत अवकाश	दिनांक 22-10-2016 से 11-02-2017 तक	111 दिवस
अर्जित अवकाश	दिनांक 13-02-2017 से 17-02-2017 तक	05 दिवस

2. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक 593/LV-18-2-2017-Feb./1-8.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दिनांक 27-02-2017 से 08-03-2017 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक 595/LV-100-15-2017-Feb./1-8.—श्रीमती कमला टेम्भुरने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का दिनांक 01-03-2017 से 07-03-2017 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कमला टेम्भुरने आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती कमला टेम्भुरने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टेम्भुरने अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक 597/LV-1-182-2017-March/1-8/स्था.—श्री आर. पी. राठिया, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 14-03-2017 से 20-03-2017 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. राठिया, आगामी आदेश तक उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. पी. राठिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2017

क्रमांक 599/692/2013/1-8/स्था.—श्री एस. एन. नामदेव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तत्कालीन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, (अतिरिक्त प्रभार), वर्तमान में वित्त विभाग का दिनांक 22-06-2016 से 08-07-2016 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एन. नामदेव, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एन. नामदेव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एन. नामदेव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक ई 7-03/2017/एक-2.—श्री बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को दिनांक 08-05-2017 से 05-08-2017 तक (90 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07-05-2017, 06-08-2017 तक 07-08-2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रमण्यम आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुब्रमण्यम को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुब्रमण्यम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक/3331/एफ-20/14/2014/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-34-82-चौदह-3(ए), दिनांक 12 नवम्बर, 1982 को संशोधित करते हुए, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र सहित निम्नलिखित स्थान, जिसके लिये इस विभाग की अधिसूचना क्र. 5004/डी 15/82/2003/14-3, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 द्वारा मण्डी स्थापित की गई है, किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण होगा, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम बरमकेला, तहसील बरमकेला, जिला रायगढ़ में खसरा क्र. 267 की भूमि लगभग 1.401 हेक्टेयर (3.46 एकड़) क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

1.	उत्तर दिशा में	—	महावीर प्रसाद पिता राधेश्याम अग्रवाल की भूमि.
2.	दक्षिण दिशा में	—	सड़क (बड़े नावापारा सड़क).
3.	पूर्व दिशा में	—	खीरसागर आत्मज नवलसाय, राजेश, राकेश आत्मज रविशंकर, महावीर प्रसाद आत्मज राधेश्याम, आशीष आत्मज अलेखराम की भूमि.
4.	पश्चिम दिशा में	—	सड़क (सरिया सड़क).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2017

क्रमांक/3331/एफ-20/14/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3331/एफ-20/14/2014/14-2 रायपुर दिनांक 18-04-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 18th April 2017

No./3331/F-20/14/2014/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, by amending this department's Notification No. D-15-34-82-14-3 (A), dated 12th November, 1982, hereby, declares that the following Places including all structures, enclosures, open place or locality shall be Farmer/consumer sub-market yard for which a market has been established by this Department's Notification No. 5004/D 15/82/2003/14-3, dated 08th September, 2003, namely :—

PLACE

Boundaries of an area about 1.401 Hectare (3.46 Acre) land of Khasra No. 267 at Village Barmkela, Tehsil Barmkela, District Raigarh are as under :—

1.	in North side	—	Land of Mahaveer Prasad S/o Radheshyam Agrawal.
2.	in South side	—	Road (Bade Navapara Road).
3.	in East side	—	Land of Kheersagar S/o Navalsay, Rajesh, Rakesh S/o Ravishanker, Mahaveer Prasad S/o Radheshyam, Ashish S/o Alekhram.
4.	In West side	—	Road (Saria Road).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 15-165/2015/25-3.—डॉ. साजिद अहमद फारूकी (मूल पद पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ) वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 23 में दिये प्रावधान अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है.

2. वक्फ अधिनियम यथा संशोधित 2013 की धारा 23 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. साजिद अहमद फारूकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर को उप सचिव के समकक्ष वेतनमान प्राप्त होने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2013 से उप सचिव पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार काले, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक/एफ 01-03/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित निम्नलिखित वर्ष 2015 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारियों को 04 माह के क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वृत्त व जिला का नाम (3)	वनमण्डल का नाम (4)
1.	श्री अरविन्द पी. एम	रायपुर वृत्त, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार वनमण्डल
2.	श्री मनीष कश्यप	रायपुर वृत्त, धमतरी	धमतरी वनमण्डल
3.	श्री नायर विष्णुराज	बिलासपुर वृत्त, कोरबा	कटघोरा वनमण्डल
4.	श्री रंगनाथा	सरगुजा वृत्त, बलरामपुर	बलरामपुर वनमण्डल
5.	श्री सन्दीप बलागा	सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर	सरगुजा वनमण्डल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 1-11/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री मुदित कुमार सिंह (1984)
2. डॉ. के. सुब्रमणियम (1984)

उपरोक्त अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 11-34/2016 मबावि/50/16-17.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 44 (7) के प्रावधानों के अनुसार राज्य में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम (Foster Care Programme) के संचालन हेतु भारत शासन से प्राप्त मॉडल प्रारूप को अंगीकृत करते हुए उक्त दिशा निर्देशों को राज्य में लागू करता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-8/2011/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की सहमति से राज्य समाज कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़, रायपुर के अध्यक्ष पद पर श्रीमती शोभा सोनी, राजनांदगांव की नियुक्ति विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-12-2015 जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक के लिए की गई है.

2. राज्य समाज कल्याण बोर्ड के नियम तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र 1-32/2002/Recon/SBA-Chhattisgarh/302 दिनांक 10-01-2017 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया जाता है :—

क्र. (1)	सदस्यों का नाम (2)	पद (3)
1.	श्रीमती सावित्री जायसवाल, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	सदस्य
2.	श्रीमती झमिता साहू, पाटन, जिला-दुर्ग	सदस्य
3.	श्रीमती ज्योति भानू चन्द्राकर, कुरूद, जिला-धमतरी	सदस्य
4.	श्रीमती दिप्ती पाण्डे, मोती तालाब पारा, जिला-जगदलपुर	सदस्य
5.	श्रीमती शशि अग्रवाल, जिला-रायपुर	सदस्य
6.	सुश्री संध्या परगनिहा, बेरला, जिला-बेमेतरा	सदस्य
7.	श्रीमती सुमिता पंजवानी, रत्ना बांधा रोड, जिला-धमतरी	सदस्य
8.	श्रीमती उषा साहू, आशीष नगर रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग	सदस्य
9.	श्रीमती संगीता अग्रवाल, जिला-रायपुर	सदस्य

3. उपरोक्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुरूप होगा.

No. F-1-8/2011/WCD/50.—The State Government with the consent of Central Social Welfare Board, New Delhi has appointed Mrs. Shobha Soni as Chairperson of the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh Raipur vide its notification of even number dated 02-12-2015 for three years from the date of notification.

2. In exercise of the powers conferred by rule-3 of the State Social Welfare Advisory Board and the consent of the Ministry of Women and Child Development, Government of India vide their letter No. 1-32/2002/Recon/SBA-Chhattisgarh/302, dated 10-01-2017 the State Government nominates the following members for the State Social Welfare Advisory Board Chhattisgarh.

S. No. (1)	Members Name (2)	Designation (3)
1.	Smt. Savitri Jayaswal, Ambikapur	Member
2.	Smt. Jhamita Sahu, Durg	Member
3.	Smt. Jyoti Bhanu Chandrakar, Dhamtari	Member
4.	Smt. Deepti Pandey, Jagadalpur	Member
5.	Smt. Shashi Aggarwal, Raipur	Member
6.	Smt. Sandhya Pragniha, Bemetara	Member
7.	Smt. Sumita Panjwani, Dhamtari	Member
8.	Smt. Usha Sahu, Durg	Member
9.	Smt. Sangeeta Aggarwal, Raipur	Member

3. The term of office of the members will be in conformity with that of the Chairperson of the Board.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 1-3/आठ-परि./2002 (पार्ट).—छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 1149/D-3251/XXI-B/C.G./2017 दिनांक 03-04-2017 द्वारा श्री आनंद कुमार बेक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद की सेवायें परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री बेक को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण रायपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2017

क्रमांक एफ 10-4/2016/16.—राज्य शासन ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) तथा धारा 3 एवं 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 29-03-2017 द्वारा 45 सामान्य नियोजनों के लिए दिनांक 01-04-2017 से न्यूनतम वेतन दरें एवं परिवर्त नशील महंगाई भत्ते की दरें पुनरीक्षित की गई है. राज्य शासन द्वारा उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से अधिक्रमित करते हुये अधिसूचना के अनुसूची-"दो" के कॉलम 5 में उल्लेखित मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार संशोधन करता है :—

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अकुशल	अ	8320.00	320.00
		ब	8060.00	310.00
		स	7800.00	300.00
2.	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00
		ब	8710.00	335.00
		स	8450.00	325.00
3.	कुशल	अ	9750.00	375.00
		ब	9490.00	365.00
		स	9230.00	355.00
4.	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00
		ब	10270.00	395.00
		स	10010.00	385.00

2. उपरोक्त संशोधन दिनांक 01-04-2017 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 19th April 2017

No. 3626/1286/XXI-B/C.G./2017.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 233 of the Constitution of India, read with sub-rule (1) of Rule 8 and clause (c) sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Satish Kumar Jaiswal S/o Shri Sona Lal Jaiswal (Category-Other Backward Classes) on the post of District Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 51550-1230-58930-1380-63070 under clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and conditions of Service) rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक 3592/567/PS Law/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतदद्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, सारंगढ़ के पद पर नियुक्त श्री विद्यावारिधी मैत्री, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 17-12-2016 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक 3724/1243/21-ब (एक)/छ.ग./2017.—राज्य शासन, मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1519/III-18-20/2006/D.E. दिनांक 10-02-2007 के परिप्रेक्ष्य में कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 1495/2344/21-ब/छ.ग./2011 दिनांक 23-02-2011 द्वारा नियुक्ति श्री अजय कुमार मिश्रा, परामर्शदाता की सेवाएं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्रमांक 3918/81/21-ब/2017.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर जितेन्द्र नायक, बाईबिल मिशन, जगदलपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर (जगदलपुर) जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर (जगदलपुर) जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 3918/81/21-B/2017.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Pastor Jeetendra Nayak, The Bible Mission Jagdalpur for District Bastar (Jagdalpur) of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्रमांक 3920/590/21-ब/2017.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) रेव्ह. पास्टर बी.सी. नंद, मेनोनाईट चर्च, कोरबा को छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 3920/590/21-B/2017.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion) Rev. Pastor B.C. Nand, Mennonite Church, Korba for District Korba of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 1-39/2015/रोज.वि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी द्वितीय श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15600-39100/- + ग्रेड पे रुपये 5400/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्ति

किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पदस्थ करता है :—

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री मुकंद कौशल पटेल	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोण्डागांव
2.	श्री ललित कुमार पटेल	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अंबिकापुर
3.	कु. चारू चित्रा साय	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, जांजगीर-चांपा

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समयावधि कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) चयनित प्रत्याशियों को अपना चिकित्सीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(ङ) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित प्रत्याशी को अंडरटेकिंग नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(च) आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(छ) चयनित प्रत्याशियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार पक्ष) ईन्द्रावती भवन, नया रायपुर में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन कराने के उपरांत ही संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

(ज) चयनित प्रत्याशियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रवीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-54/2015/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्य सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी (परिवीक्षाधीन) के रूप में उनके सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री उमेश कुमार पटेल, पिता-श्री शौकीलाल पटेल, पता-ग्राम-भंवरपुर, तहसील-बसना, जिला-महासमुन्द, (छ.ग.) पिन कोड 493558.	अन्य पिछड़ा वर्ग	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-एक, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2.	2	श्री राहुल कुमार रजक, पिता-श्री जी.पी. रजक, पता-ग्राम-रनभांठा, पोस्ट-बुनगा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन कोड-496100	अन्य पिछड़ा वर्ग	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-तीन, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).
3.	3	श्री शंकर सिंह जानसन, पिता-स्व. श्री सालिक राम, पता-म.नं.-270, ग्राम, पोस्ट-बीजा, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495112.	अनुसूचित जाति	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-एक, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
4.	4	श्री नवीन निराला पिता-श्री सुखलाल राम निराला पता-बेलपहाड़ रोड, कदमटोली, जशपुरनगर, जिला-जशपुर (छ.ग.) पिन कोड-496331.	अनुसूचित जनजाति	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (परिवीक्षाधीन) कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-दो, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ((वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भर्ती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्रमांक 93/आर-66/01/2016/13/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रताधारित इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है. उक्त पद के पदीय दायित्वों, चयन की प्रक्रिया एवं कंपनी का प्रोफाईल आदि निम्नानुसार है :—

1. **छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कंपनी का प्रोफाईल :**—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम, 2010 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, दिनांक 01 जनवरी 2009 से कार्यरत है. यह कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ शासन की ट्रांसमिशन यूटिलिटी है. विगत 08 वर्षों में इस कंपनी द्वारा स्टेट सेक्टर के पॉवर जनरेशन संयंत्रों तथा आवश्यकतानुसार निजी संयंत्रों से उत्पादित बिजली को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली में अति उच्चदाब/उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/स्थापना के साथ-साथ अति उच्चदाब/उच्चदाब पारेषण लाइनों की क्षमता में उन्नयन आदि के कार्य किये जो रहे है.

   छत्तीसगढ़ की पारेषण कंपनी राज्य में 400 केव्ही, 220 केव्ही, 132 केव्ही अति उच्चदाब उपकेद्रों तथा राज्य के अति उच्चदाब/उच्चदाब विद्युत पारेषण लाइनों का संचालन संधारण कार्य कर रही है. प्रदेश के पारेषण प्रणाली के संचालन एवं नियंत्रण हेतु स्थापित राज्य भारप्रेषण केन्द्र (State load Despatch Centre) का प्रशासन भी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत है.

2. **पदीय दायित्व :**—कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के सभी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा राज्य के विद्युत पारेषण प्रणाली के संचालन संधारण सहित कंपनी में संचालित योजनाओं के तहत प्रस्तावित/निर्माणाधीन विभिन्न अति उच्चदाब/उच्चदाब सब स्टेशन एवं पारेषण लाइनों के निर्माण के कार्यो को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी रहेगा तथा भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करायेगा. मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के उद्देश्य तथा दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक निर्णय एवं कुशल प्रबंधन को लागू करने के लिए जिम्मेदार रहेगा.

3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :**—अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इन्स्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में बी.ई./बी. टेक में प्रथम श्रेणी में डिग्रीधारी होना चाहिए.

4. **अनुभव :**—
   I. स्टेट सेक्टर के पॉवर ट्रांसमिशन यूटिलिटी अथवा पावर सेक्टर के शेडयूल "ए" सार्वजनिक उपक्रम में मुख्य अभियंता/एक्जीक्युटिव डायरेक्टर अथवा समतुल्य पद पर पॉवर ट्रांसमिशन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो/सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन के निर्माण एवं कमिशनिंग तथा संचालन संधारण का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव.

   II. मैनेजिंग डायरेक्टर के पास उत्कृष्ठ इंजीनियरिंग दक्षता के साथ-साथ पारेषण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए तथा योजनाओं के रूपांकन एवं क्रियान्वयन के क्षेत्र में अनुभव एवं दक्षता होनी चाहिए ताकि वह पारेषण कंपनी की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सके.

5. **अर्हताएं :**—
   I. अभ्यर्थी कलर ब्लाइण्ड नहीं होना चाहिए.

   II. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड से "फिटनेश सर्टिफिकेट" प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा. मेडिकल बोर्ड से फिट पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा.

6. **वेतन एवं भत्ते :**—डायरेक्टर के पद के लिए कंपनी में कार्यपालन निदेशक के पद के लिए निर्धारित वेतनमान तथा विशेष वेतन के मद में रुपये 5000 देय होगा. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित नियमों के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय होंगे. सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को देय कुल राशि की गणना पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी.

7. **नियुक्ति की अवधि :**—मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहेगी.

8. **आयु सीमा :**—दिनांक 01 जनवरी 2017 को न्यूनतम 60 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष हो.

9. **आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—**

I. आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं (आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव) एवं अन्य सुसंगित योग्यता/अनुभव (यदि कोई हो तो) के प्रमाण के रूप में सुसंगत दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है. अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

II. आवेदन संलग्न प्रारूप में श्री एम. के. त्यागी, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492002 को सम्बोधित करते हुए स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा.

III. सेवारत अभ्यर्थी को अपने आवेदन की एक प्रति सीधे तथा आवेदन की दूसरी प्रति अपने नियोक्ता संस्थान के माध्यम से भेजनी चाहिए.

IV. सीधे ऊर्जा विभाग को भेजे जाने वाला आवेदन दिनांक 13 फरवरी 2017 को कार्यालय समय में सचिव, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर को प्राप्त हो जाना चाहिए. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

10. **चयन प्रक्रिया/नियुक्ति की प्रक्रिया :—**

(i) राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा नियत दिनांक तक प्राप्त सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदनों के अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक उपयुक्त 03 उम्मीदवारों का पैनल अंग्रेजी अक्षरों के वर्णक्रम में राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा.

(ii) चयन समिति की अनुशंसा पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जाएगा.

11. **सेवा शर्तें :**—प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की सेवाएं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 से प्रशासित होगी.

ANNEXURE - I

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT AS MANAGING DIRECTOR IN
CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
[THROUGH PROPER CHANNEL] '*'

(Note : Any column left blank will make the application incomplete and liable for rejection.)

1. Name of the post applied for : ....

2. (a) Name (as per official records) : ....

(b) Identification Number (Aadhaar Number) : ....

(c) Present Designation of the Applicant (in case Serving Candidate). : ....

(d) Designation at the time of retirement (in case Retired Candidate) : ....

(e) Category-Employment Status (please tick as applicable) :- Officer of a State PSU's/CPSU's/Private Sector

(f) Office Address : ....
....
....

3. Address for communication : ....
....
....

4. Telephone No. : Office...................................... Residence ....
FAX No. .... Mobile No. ....
E-Mail address ....

5. Date of Birth ....Age (as on 01-01-2017)..

6. Eligibility Criteria :

	As per Job description	Prossessed by the officer	Whether eligible or not
Educational/professional qualifications (along with the name of Institutions)			
Present pay Scale (in case Serving Candidate).			
Pay Scale at the time of retirement (in case Retired Candidate)			
Length of service in eligible pay scale.			

'*' Note : Not applicable if applicant has retired from service.

7. Positions held during the preceding ten years :

S.N.	Designation, and place of posting	Organisation	From	To	Pay Scale
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

7 (a) Details of experience relevant for the advertised post and job description, out of 7 above :

S.N.	Designation, and place of posting	Organization	From	To	Pay Scale	Nature of experience
1.						
2.						
3.						
4.						

Note :

1. You may attach a write up, if you wish, not exceeding two pages, in support of your candidature.

2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or a separate attachment.

8. (A) Do you hold lien in any othe organization other than where currently working ?

Yes	No

If yes :

(a) Name of the organization in which the lien is held :

....

....

(b) Date from which the lien is held ....

(B) Are you on deputation ?

Yes	No

If yes :

Date from which you have been on deputation :—..

9. (a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years.

Yes	No

If yes, the details thereof ....

....

(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof ....

....

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols. 1 to 9 are true to the best of my knowledge and belief.

UNDERTAKING

I hereby undertake to join the post, if selected. I understand that if I convey my unwillingness to join after the interview its held, but before the appointment is precessed, or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of two years for being considered for Board level post in any of the Chhattisgarh State Power Company.

Date : (Name and Signature of the applicant)

(To be filled by the State PSU/CPSU/Ministry/Department concerned)

It is certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of the Competent Forwarding
Authority with Telephone No. & Office Seal.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्रमांक 973/आर-66/01/2016/13/2.—राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक 93/आर-66/01/2016/13/2 दिनांक 16-01-2017 (छायाप्रति संलग्न) से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रताधारित इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 13-02-2017 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विज्ञापन में आयु एवं अनुभव की अर्हताओं में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

स.क्र.	विज्ञापन की कंडिका	विज्ञापन की कंडिका में सम्मिलित अर्हता	प्रस्तावित संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4 (i)	स्टेट सेक्टर के पॉवर ट्रांसमिशन युटिलिटी अथवा पॉवर सेक्टर के शेड्यूल ए सार्वजनिक उपक्रम में मुख्य अभियंता/एक्ज्युटिव डायरेक्टर अथवा समतुल्य पद पर पॉवर ट्रांसमिशन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों/सब स्टेशन एवं पारेषण लाइन के कमिश्निंग अथवा संचालन संधारण के कार्यों का 05 वर्ष का अनुभव.	स्टेट सेक्टर के पॉवर युटिलिटी अथवा पॉवर सेक्टर के शेड्यूल ए सार्वजनिक उपक्रम में अतिरिक्त मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता/एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अथवा समकक्ष पद पर पॉवर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन अंतर्गत विद्युत उत्पादन संयंत्रों/विभिन्न वोल्टेज के सब स्टेशन/विद्युत लाइनों के निर्माण/कमिशनिंग/इंजीनियरिंग डिजाईन/संचालन-संधारण कार्य में 05 वर्ष का अनुभव.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	8	दिनांक 01 जनवरी 2017 को न्यूनतम आयु 60 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष हो.	दिनांक 01 जनवरी 2017 को अधिकतम आयु 65 वर्ष हो.
3.	5 (i)	अभ्यर्थी कलर ब्लाइण्ड नहीं होना चाहिए.	अभ्यर्थी के कलर ब्लाइण्ड नहीं होने की अनिवार्यता विलोपित.

3. पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 93/आर-66/01/2016/13/2 दिनांक 16-01-2017 जारी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख जो 13 फरवरी 2017 थी को 30 जून 2017 तक बढ़ाया जाता है.

4. पूर्व में पत्र क्रमांक 93/आर-66/01/2016/13/2 दिनांक 16-01-2017 जारी विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन जमा किए गए हैं उन्हें पुन: आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी.

नया रायपुर दिनांक 01 अप्रैल 2017

क्रमांक 990/आर-66/01/2016/13/2.—राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमांक 973/आर-66/01/2016/13/2 दिनांक 31 मार्च 2017 (छायाप्रति संलग्न) से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रताधारित इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून 2017 दर्शित है जिसे 30 जून 2017 के स्थान पर 20 अप्रेल 2017 पढ़ा जाये.

उक्त विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम्, विशेष सचिव.

नया रायपुर दिनांक 23 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-5/2013/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09-02-2017 द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित नवनियुक्त सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक को, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम व पदनाम (2)	नवीन पदस्थापना स्थान (3)
1.	श्री हर्ष देवांगन, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, उपसंभाग, जगदलपुर.
2.	श्री अमित कुमार उर्वशा, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग, बिलासपुर.

2. परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत शासित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक एफ 04-02/2013/23.—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 सहपठित सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एक सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से, जो इसमें इसके पश्चात् "सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा सम्बन्धित गतिविधियों पर नीचे दिये गये अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देती है :

2. इसके अलावा, राज्य सरकार, पूर्वोक्त निर्देश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके प्रतिनिधियों को, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जब भी आवश्यक हो स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के कार्यक्षेत्र में संलग्न किये जायेंगे. प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा.

4. अनुसूची-2.35 में "सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण" से संबंधित संग्रहित आंकड़े, जो सूचकों द्वारा उपलब्ध कराये गये हों, का प्रसंस्करण, सम्यक् रूप से सत्यापन और संवीक्षा के पश्चात्, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, गिरीडीह एवं नागपुर में स्थित आंकड़ा प्रसंस्करण केन्द्रों के उप महानिदेशक के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा.

5. सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में संलग्न सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित है. अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) अथवा (6) के अधीन किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गई है.

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण के माध्यम से थोक एवं खुदरा व्यापार, मोटर एवं दुपहिया वाहनों की मरम्मत, परिवहन एवं भंडारण, निवास एवं खाद्य सेवा कार्यकलाप, सूचना एवं संचार, वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप (प्रभाग 65 सर्वेक्षण व्याप्ति से बाहर रहेगा), भूसंपत्ति कार्यकलाप, व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप, प्रशासनिक एवं सहायक सेवा कार्यकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य गतिविधियां, कला, मनोरंजन एवं मनोविनोद, अन्य सेवा कार्यकलाप (राजनीतिक संगठनों के कार्यकलाप-रा.औ.व. संकेतांक 9492 एवं व्यापारिक संगठनों के कार्यकलाप-रा.औ.व. संकेतांक 942 सर्वेक्षण व्याप्ति के बाहर रहेंगे), के संबंध में आंकड़े एकत्र किये जायेंगे.

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. उक्त अधिनियम के अधीन सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जायेगा.

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सूचनादाताओं को, एक नोटिस जारी किया जायेगा जिसमें ऐसी तारीख जिस पर, उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम जिसको, प्रतिष्ठान अथवा प्रतिष्ठानों जिसके बारे में, सूचना दी जानी है, और वह प्रपत्र जिसमें सूचना देना अपेक्षित है, का उल्लेख होगा.

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किये जा सकेंगे :

4. सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान का मालिक अथवा दखलदार, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जायेगा, प्रतिष्ठान के बारे में सूचना उपलब्ध करायेगा.

5. सांख्यिकी अधिकारी, ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन मालिक अथवा दखलदार से एकल प्रबंधन के अधीन उन दो अथवा अधिक प्रतिष्ठानों के बारे में समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है, यदि वैयक्तिक प्रतिष्ठान के लिये पृथक-पृथक सूचना उपलब्ध नहीं है.

अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा :

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख, नोटिस में उल्लिखित की जायेगी और यह सामान्यत: अक्टूबर, 2016 से जून, 2017 के दौरान होगी.

संदर्भ अवधि :

7. सूचना, 01 अप्रैल, 2015 से शुरू हुए और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये अथवा प्रतिष्ठान के लेखांकन वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2016 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के लिये प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है.

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति :

8. सूचना, विशेष रूप से तैयार की गई अनुसूची 2.35 के द्वारा एकत्र की जायेगी. जांच अनुसूची में प्रतिष्ठान/उद्यम के पहचान विवरण, संदर्भ अवधि के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा किये गये कार्यकलाप, स्थायी एवं प्रचालन पूंजी संबंधी सूचना, परिसम्पत्तियां और देनदारियां, रोजगार एवं श्रम लागत, आय, व्यय, आगत मदें, कर एवं आर्थिक सहायता (अनुदान), लेखांकन अवधि के दौरान सकल मूल्य वृद्धि (वित्त क्षेत्र में संलग्न व्यवसायों, एन पी आई एस एच एवं गैर-बाजार उत्पादन में संलग्न प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों/उद्यम के लिये), प्रतिष्ठान/उद्यम द्वारा प्रयुक्त सूचना एवं संचार तकनीक, प्रतिष्ठान/उद्यम द्वारा सेवाओं के आयात एवं निर्यात के विवरण अन्तर्विष्ट हैं.

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है :

9. सूचनादाता, विहित प्रपत्र में, या तो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में, सूचना उपलब्ध करायेगा.

सूचनादाता का दायित्व :

10. प्रतिष्ठान का मालिक या दखलदार, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दी गई रीति से और तारीख तक सूचना उपलब्ध करायेगा. वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर यथा अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध करायेगा और पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी देगा.

निरीक्षण किये जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकार्डों की प्रकृति :

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस प्रतिष्ठान के कारोबारी रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टर रोल्स, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य वैधानिक दस्तावेज की जांच किया जा सकता है.

निरीक्षण का तरीका :

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्रतिष्ठान के कारोबारी रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलदार या प्रतिष्ठान के प्रबंधक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है.

अनुसूची-II

स. क्र. (1)	सांख्यिकी अधिकारी (2)	कार्यक्षेत्र (3)	पता (4)
1.	सहायक संचालक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.	छत्तीसगढ़	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, ब्लॉक-बी, भू-तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर 492002.

No. F 04-02/2013/23.— In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the State Government, hereby, directs Collection of Statistics on Services Sector Establishments and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Survey of Services Sector', as per the details mentioned in the Schedule-I given below :

2. The State Government further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule-II given below as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer will be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person will carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in the Schedule 2.35 in respect of the 'Survey of Services Sector' furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Offices of the Deputy Director General, D.P.Centres located at Ahmedabad, Kolkata, Delhi, Bangalore, Girdih and Nagpur.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Survey of Services Sector are governed by the provisions under said Act and Rules. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of Section 4 of the Act.

SCHEDULE - I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage, accommodation and food service activities, information and communication, financial and insurance activities (Division 65 will be excluded from the coverage of the survey), real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, education, human health and social work activities, arts, entertainment and recreation, other service activities (activities of political organizations-NIC code 9492 and activities of trade unions- NIC code 942 will be excluded) shall be collected through Survey of Services Sector.

Geographical area for collection of statistics:

2. The Survey of Services Sector will be conducted in the whole State of Chhattisgarh under the said Act.

Method of data collection:

3. A Notice shall be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the establishment or establishments for which, and the formats in which information is required to be furnished.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The owner or occupier of a service sector establishment, who would be issued notice by a Statistics Officer, shall furnish information about the establishment.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more establishments under single management in case information is not separately available for individual establishment and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant shall be mentioned in the notice and it would generally fall during October 2016 to June 2017.

Reference period

7. Information is required to be furnished for the Financial Year commencing from 1st April, 2015 and ending on 31st March, 2016 or for the Accounting Year of an establishment ending on any date between 1st April, 2015 and 31st March, 2016.

Nature of information to be collected:

8. The information shall be collected through specially designed Schedule 2.35. The enquiry Schedule contains identification particulars of the establishment/enterprise, activities undertaken by an establishment during reference period, information on fixed and working capital, assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items, taxes and subsidies, Gross Value Added during accounting period (for establishment/ enterprise other than financial sector, NPISH and other enterprises engaged in non-market production), use of ICT by the establishment/enterprise, particulars of import and export of services by the establishment/enterprise.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier of an establishment shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned' Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of an establishment, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the establishment may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the establishment.

SCHEDULE - II

SI. No. (1)	Statistics Officer (2)	Jurisdiction (3)	Address (4)
1.	Assistant Director, NSS, Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh, Raipur.	Chhattisgarh	Directorate of Economics & Statistics, Block – B, Ground Floor, Indravati Bhawan, Naya Raipur- 492002.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 7-03/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुरमुंदा निवेश क्षेत्र जिला राजनांदगांव का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

मुरमुंदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम गाजमर्रा, भंडारपुर, मुरमुंदा, मुढ़पार, जामरी एवं जटकन्हार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम जटकन्हार, जामरी, मुढ़पार एवं खलारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खलारी, मेंढ़ा, पटपर एवं पिनकापार ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पिनकापार, माटेकटा, भंडारपुर एवं गाजमर्रा की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 7-04/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कुण्डा निवेश क्षेत्र जिला कबीरधाम का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

कुण्डा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बोडतराखुर्द, छीतापारकला, खरहट्टा, बनियाकुबा एवं महली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम महली, सूरजपुरकला, रेंगाबोड़, गुन्झेटा, खम्हरिया, सेनहाभाटा, ओडाडबरी एवं लोखान ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम लोखान, कुण्डा, माकरी, दुल्लीपार, रेहुटाकला, सूजरपुराखुर्द, बसनी, घोरपेंडरी एवं पीपरमाटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम पीपरमाटी, खैरवारकला, नवागांवगजरी एवं बोड़तराखुर्द ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2016

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2017 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2017.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा मंगलवार, दिनांक 01 अगस्त, 2017 से 08 अगस्त, 2017 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 01-08-2017

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

मंगलवार, दिनांक 01-08-2017

(1)	(2)	(3)
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 01-08-2017	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 02-08-2017	
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''बी''.	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-''सी''.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

बुधवार, दिनांक 02-08-2017

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	गुरुवार, दिनांक 03-08-2017	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	गुरुवार, दिनांक 03-08-2017	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	

गुरुवार, दिनांक 03-08-2017

(1)	(2)	(3)
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	शुक्रवार, दिनांक 04-08-2017	
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 04-08-2017

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 05-08-2017	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 05-08-2017	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	रविवार, दिनांक 06-08-2017 एवं सोमवार, दिनांक 07-08-2017 को शासकीय अवकाश	
	मंगलवार, दिनांक 08-08-2017	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने परीक्षा केन्द्र आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2017 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक 4660/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	लखनपुर	6.601 हेक्टेयर	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-4-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन-लखनपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	53 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	53 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	कुल 31 वृक्ष
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक 4665/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	जुराली	3.989 हेक्टेयर	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-4-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान नगर पालिका परिषद्, कटघोरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 41 परिवार
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 41 परिवार
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां
8. परियोजना की कुल लागत — रु. 5607.66 लाख
9. परियोजना से होने वाला लाभ — कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण का विस्तार होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्रमांक 4778/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	लरला	0.405 हेक्टेयर	बांगो बांध के डूबान में अर्जित होने पर

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-4-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, साखो में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	बांगो बांध के डूबान में अर्जित होने पर
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 284.98 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अर्जित होने वाली भूमि पूर्व में ही बांगो बांध के डूबान में अधिग्रहित हो चुकी है. जिसके लिये पूरक भू-अर्जन का प्रकरण तैया किया गया है.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाला अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्रमांक 363/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	तिहारपाली	5.65 हेक्टेयर	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम तिहारपाली

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-4-2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत रक्सा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	38 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3668.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को राशि रु. 1468000.00 धनादेश क्र. 213009 दिनांक 06-03-2010 के माध्यम से जिला कार्यालय महासमुंद में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2017

क्रमांक 482/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा नं.	रकबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रायपुर	आरंग	पलौद	1401	0.42	लोकहित में नया रायपुर में ए.डी. रोड-01 निर्माण
			1814	0.09	
			1749	0.02	
			1752	0.28	
			1588	0.07	
			1590	0.43	
			1794	0.04	
			1578	0.04	
			1579	0.15	
			1591/2	0.20	
			1591/3	0.15	
			1592/2	0.20	
			1592/3	0.11	
			1591/4	0.05	
			1592/4	0.24	
		योग	**15**	**2.49**	

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 28-4-2017 को समय 11.30 बजे स्थान ग्राम पलौद पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — लोक हित में नया रायपुर में ए.डी. रोड-1 निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 09 व्यक्ति
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां

7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	अनुमानित राशि रु. 17,06,04,611/-
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	ग्राम पलौद में ए.डी. रोड-1 निर्माण से आवागमन की सुविधा, अधोसंरचना का विकास होगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 अप्रैल 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	औरदा प.ह.नं. 11	2.194	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	झारमुड़ा शाखा नहर के अंतर्गत शारदा वितरक नहर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक 1582/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अत: राज्य शासन निजी भू-धारकों की भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया है :—

अनुसूची

भूमि के प्रकार						प्राधिकृत अधिकारी	रिमार्क
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
धमतरी	कुरूद	भखारा	जागेन्दर पिता रोमलाल वगै.	1631 टु.	0.16	कलेक्टर जिला धमतरी	भखारा बायपास मार्ग
			गोवर्धन पि. निरभे सतनामी	1647 टु.	0.14		
				1650	0.15		
			योग	**1650**	**0.29**		
			रजवा पि. निरभे सतनामी	1648 टु.	0.09		
			ताराबाई पि. कन्हैया सतनामी	1649 टु.	0.12		
			अनिल पिता बैशाली बनारसी	1654/2	0.04		
			चैनलाल पि. रामप्रसाद साहू	1655 टु.	0.42		
			डोमारसिंह पि. पुरनसिंह साहू	1675 टु.	0.08		
			देवेन्द्र कुमार पिता गैंदलाल नाई	1676	0.02		
			नेतराम पि. अर्जुन निषाद	1677	0.11		
			बाबूलाल पि. गयाराम मरार	1678 टु.	0.17		
			सत्यप्रकाश पिता निरंजन सिन्हा	1679	0.01		
			रामपाल सिंह पि. दिरगनसिंह राजपूत.	1976 टु.	0.13		
			सोनसाय पिता बिसौहा	1693/2	0.21		
			किरण पति दुलारसिन्हा	1693/1	0.11		
			गणेशराम पिता जगदीश	1693/3	0.38		
			महायोग	**15**	**2.34**		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है.

धमतरी, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक 1584/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा बायपास मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अत: राज्य शासन निजी भू-धारकों की भूमि आपसी सहमति से भूमि

क्रय नीति 2016 के तहत संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया है :—

अनुसूची

भूमि के प्रकार						प्राधिकृत अधिकारी	रिमार्क
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
धमतरी	कुरूद	सिहाद	रोहित पिता फिरत वगैरा	20 टु.	0.14	कलेक्टर जिला धमतरी	भखारा बायपास मार्ग
			कुलेश्वर पिता मोहन नाई	21 टु.	0.10		
			श्रीरामचंद्र मंदिर कुर्रा वाले	24 टु.	0.50		
			खेदीन बाई पिता मंहगू मरार	25 टु.	0.21		
				48 टु.	0.29		
			योग	**2**	**0.50**		
			कृपाराम पिता हीराधर	26/1	0.08		
			गौकरण पिता धनेश साहू भखारा	26/2	0.01		
				27/1 टु.	0.11		
			योग	**2**	**0.12**		
			भुवन पिता धनेश साहू भखारा	27/2 टु.	0.09		
			नारायण पिता समारू सतनामी	28/1	0.15		
			मोहनसिंह पिता मिलाप हरदेल भखारा.	28/2 टु.	0.05		
			बुधराम पिता सुरजभान साहू	29/1 टु.	0.09		
			अशोक पिता केजउराम साहू	29/2 टु.	0.04		
			बहादुर पिता उदय भठेली	32 टु.	0.01		
			हीरालाल पिता दशरू भखारा	44 टु.	0.09		
			केजाबाई पिता मंहगू मरार	47 टु.	0.12		
			मीनादेवी पिता शंकरलाल भठेली	50 टु.	0.08		
			थानूराम पिता भावसिंह भठेली	51 टु.	0.18		
			जोहरिक पिता बरातू भठेली	52 टु.	0.14		
			नेमीराम पिता देशन कुर्मी वगै.	53 टु.	0.03		
			रेखू, देवलाल, देवाबाई, सुशीला, सत्यवती पिता बिसहत वगै.	82 टु.	0.24		
			ना. भुपेश पिता बिंझवार	84 टु.	0.10		
			गणेश पिता तियारी मरार	371 टु.	0.07		
				372/2 टु.	0.08		
			योग	**2**	**0.15**		
			रमाशंकर पिता धनेश वगै. मरार.	370 टु.	0.04		
			राधास्वामी सत्संग व्यास जि.सो. सचिव कन्हैया गोविंद धमतरी सेंटर.	354 टु.	0.03		
			कोमल प्रसाद पिता घनश्याम प्रसाद.	356	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			संतलाल पिता द्वारिका साहू	357	0.06		
			गायत्री बे. काशीराम वगै.	358	0.02		
			छबिराम पिता सेउक वगै.	359 टु.	0.03		
			महायोग	**15**	**3.23**		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है.

धमतरी, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक 1586/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा-सुपेला बायपास मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अतः राज्य शासन निजी भू-धारकों की भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया है :—

अनुसूची

भूमि के प्रकार						प्राधिकृत अधिकारी	रिमार्क
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
धमतरी	कुरूद	भखारा	नरेशकुमार पिता बुधराम	280/1 टु.	0.11	कलेक्टर जिला धमतरी	भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण
				342 टु.	0.05		
				343/2 टु.	0.06		
				345/1	0.10		
			योग	**4**	**0.32**		
			मोहनीश पिता नरेश कुमार तेली	280/2 टु.	0.18		
			मोहन पिता नारायण	281	0.11		
			खुबलाल पिता नम्नू साहू	283 टु.	0.13		
			केदारराम पिता कार्तिक साहू	323 टु.	0.07		
			कांतिबाई पिता चैनसिंग	343/1 टु.	0.05		
			सालिकराम पिता श्री परसराम	344	0.02		
			तेली.	274/1	0.12		
			योग	**2**	**0.14**		
			श्रीचंद पिता केजूराम यादव	346 टु.	0.01		
			उदासाबाई जौ. रामबरन तेली	347 टु.	0.08		
			दिनेश कुमार पिता लतेलू वगै.	350 टु.	0.08		
			महायोग	**14**	**1.17**		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है.

धमतरी, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक 1588/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नींचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अवश्यकता है. अत: राज्य शासन निजी भू-धारकों की भूमि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया है :—

अनुसूची

भूमि के प्रकार						प्राधिकृत अधिकारी	रिमार्क
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हे. में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
धमतरी	कुरूद	सुपेला	तेजराम पिता संतराम	874 टु.	0.02	कलेक्टर जिला धमतरी	भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण
			मजुबाई बे. राजकुमार साहू	881 टु.	0.25		
			बसंत कुमार पिता फिरंगी साहू	882 टु.	0.09		
			रामगोपाल पिता जिराखन	963	0.21		
			कुन्तीबाई जौ. गंगाराम	966 टु.	0.15		
				973 टु.	0.09		
			योग	**2**	**0.24**		
			देवसिंह/दुकलहा वगै.	968 टु.	0.24		
			गौकरण/संतराम तेली	970/1 टु.	0.13		
			कामता पि. देवलाल	970/2 टु.	0.10		
			संतराम पिता रमेशर तेली	970/3 टु.	0.07		
			श्यामचरण पिता शंकरलाल	972/1	0.26		
			घनश्याम पिता नकुल तेली	1013	0.08		
			भगवती पिता अलखराम तेली	1037/1	0.04		
			रैनसिंह पि. सालिक राम	1037/2	0.03		
				1048	0.05		
			योग	**2**	**0.08**		
			सोनकुंवर जौ. संतराम साहू	1038	0.07		
			ईश्वर पि. कार्तिक	1039	0.09		
			हेमाराम पि. हीराराम	1040	0.04		
			ईश्वर पि. जुगुल साहू	1050	0.14		
			प्रेमसिंह पिता बंधू साहू	1051	0.12		
			महायोग	**18**	**2.27**		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वामित्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा/आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक 18/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-रक्शा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7	0.12
	10	0.04
	68	0.26
	8	0.24
	66	0.42
	67	0.18
	72	0.18
	73	0.05
	74	0.30
	75	0.20
	76	0.13
	65	0.01
	69	0.07
योग	13	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक 23/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गनियारीपाली, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	516/2	0.10
	516/1	0.12
	514	1.68
	517	0.55
	2	0.24
योग	5	2.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के उलट निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक 25/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-चिवराकुटा, प.ह.नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	125	0.12
	145	0.64
	151	0.13
	49	0.38
	196/3	0.77
योग	05	2.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के शीर्ष कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2017

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-घुरनपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.945 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	151/3	0.202
	166/8	0.154
	149/2	0.291
	157/2	0.020
	166/18	0.040
	149/3	0.113
	156/2	0.121
	166/17	0.168
	149/5	0.012
	127/1	0.028
	156/1	0.012
	147/1	0.020
	128/1	0.040
	158/2	0.174
	166/10	0.041
	164	0.056
	163	0.057
	149/6	0.024
	148	0.174
	146	0.024
	155	0.020
	166/4	0.154
योग	22	1.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 31 मार्च 2017

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बगीचा
- (ग) नगर/ग्राम-लरंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.442 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	241/3	0.053
	331/1	0.142
	248	0.020
	252	0.012
	334	0.097
	327/2	0.057
	331/2	0.044
	415/1	0.069
	409	0.036
	384/6	0.065
	443/1	0.089
	446/3	0.049
	378/3	0.089
	381/5	0.040
	443/2	0.024
	446/4	0.073
	395/1	0.109
	395/2	0.032
	381/7	0.040
	395/3	0.105
	377/4	0.097
	394	0.016
	367/1	0.044
	381/4	0.028
	384/7	0.012
योग	25	1.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैना लरंगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 18 नवम्बर 2016

क्रमांक/05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-थानखम्हरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरझिटीकला, प.ह.नं. 13/16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1067	0.04
1065	0.05
1064/2	0.03

(1)	(2)
1069	0.03
1070	0.03
1071	0.03
1116/1	0.01
1072	0.08
1076	0.01
1077	0.20
1080/2	0.01
1084/2	0.03
1085/1	0.01
1094/2	0.01
1097	0.01
1111	0.01
1112	0.01
1153/1	0.01
1153/2	0.01
1168	0.01
1169	0.01
1170	0.01
1172	0.01
1222/1	0.02
1222/4	0.01
553	0.01
554	0.01
560	0.02
457/1	0.01
464	0.01
472/6	0.01
474/1	0.01
474/2	0.01
475	0.01
508	0.02
1073	0.01
207/1	0.03
207/2	0.01
207/3	0.01
207/4	0.01
योग 40	0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गडुवा, खैरझिटी, डंगनिया, बोरिया, श्यामपुरकांपा, नवागांवकला मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/7727.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार.अधिकारी/10-11/7717-7718 रायपुर दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री एस. के. सोनी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चांपा को कृषि उपज मण्डी समिति चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 2818/स्था./2017 दिनांक 25-02-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति चांपा में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्रीमति सरस्वती बंजारे, तहसीलदार, चाम्पा का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. के. सोनी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चांपा के स्थान पर श्रीमति सरस्वती बंजारे, तहसीलदार, चाम्पा को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति चांपा जिला-जांजगीर-चांपा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/7729.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/2517-2518 रायपुर दिनांक 08-07-2016 द्वारा श्री बी. आर. बाकरे, नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार जैजेपुर को, कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 2818/स्था./2017 दिनांक 25-02-2017 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री सुनील अग्रवाल, तहसीलदार जैजेपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. आर. बाकरे, नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार जैजेपुर के स्थान पर श्री सुनील अग्रवाल, तहसीलदार जैजेपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2017

क्रमांक/बी-8/32(2)/भार.अधि./2016-17/8021.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भार.अधि./2016-17/5795-5796 रायपुर दिनांक 24-12-2016 द्वारा श्री के. आर. ओगरे अपर कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 2208/वित्त-1/न.क. 68/2017 दिनांक 17-03-2017 द्वारा श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, जिला धमतरी, को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. आर. ओगरे, अपर कलेक्टर, जिला कार्यालय धमतरी के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, जिला धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

सचिवालय, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (SLMA)
प्रथम तल, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक/837/रा.सा.मि.प्रा./स्थापना/प्रभार/16-17.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. ई-1-1-2017/1/2, नया रायपुर दिनांक 25-03-2017 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ का कार्यभार आज दिनांक 29-03-2017 को ग्रहण कर लिया गया है.

मयंक वरवड़े ,
संचालक एवं सदस्य सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 24 मार्च 2017

क्रमांक 3879/अधी./2017.—श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, अपर कलेक्टर कोरबा दिनांक 6-3-2017 से चिकित्सीय अवकाश आवेदन एवं लगातार अनुपस्थिति के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 183/अधी./2017/कोरबा, दिनांक 5-1-2017 के तहत उन्हें सौंपे गये कार्यों को प्रशासकीय व्यवस्था की दृष्टिकोंण से आगामी आदेश पर्यन्त निम्न अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप कार्य बंटित किया जाता है :—

1. **न्यायालय-कलेक्टर-कोरबा—**
   - कोरबा जिले अनुविभाग कोरबा के करतला तहसील तथा अनुविभाग कटघोरा एवं पोंडीउपरोडा के अंतर्गत समस्त अपील/पुनरीक्षण के प्रकरणों का निराकरण.
   - वारिसान प्रमाण पत्र, के प्रकरणों का निष्पादन
   - विवाह अधिकारी

2. **श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल (आई.ए.एस.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा—**
   - अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-जिला कार्यालय कोरबा.

3. **श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर-कोरबा—**
   - अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कोरबा
   - राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति आदेश पारित करना.
   - अज्ञात वाहन/सड़क दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों का अंतिम आदेश पारित करना.

   नोडल अधिकारी—
   - रेल कॉरीडोर परियोजना-
   - पासपोर्ट-
   - श्रम विभाग
   - छत्तीसगढ़ निक्षेप अधिनियम 2005
     (नोडल अधिकारी नस्ती का परीक्षण कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कोरबा, दिनांक 10 अप्रैल 2017

क्रमांक/4468/अधी./2017.—छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक बी-1-1/2017/एक/4 दिनांक 14-2-2017, बी-1-1/2017/एक/4 दिनांक 30-03-2017 एवं बी-1-1/2017/4/एक दिनांक 14-02-2017 के परिपालन में स्थानांतरित डिप्टी कलेक्टर्स को आज दिनांक 10-04-2017 को अपरान्ह पश्चात् उनके नवीन पदस्थापना स्थल के लिए भार मुक्त किया जाता है एवं जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर्स को अनुविभागीय अधिकारी के पद पर निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है :—

1. श्री देवेन्द्र पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा को नवीन पदस्थापना स्थल जिला बिलासपुर के लिए भार मुक्त किया जाता है एवं श्री बी. बी. पंचभाई, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा को आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा को जिला कार्यालय, कोरबा से भार मुक्त करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा के पद पर पदस्थ किया जाता है एवं श्री गजेन्द्र सिंह, ठाकुर संयुक्त कलेक्टर, कोरबा को श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा का समस्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पोड़ीउपरोड़ा को नवीन पदस्थापना स्थल जिला सरगुजा के लिए भार मुक्त किया जाता है एवं श्री अखिलेश साहू, डिप्टी कलेक्टर कोरबा को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पोड़ीउपरोड़ा के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

पी. दयानंद,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 13 अप्रैल 2017

क्रमांक/2631/ज्ये.लि. 1/2017.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारंभ होते ही जल-जनित संक्रामक रोग जैसे-उल्टी-दस्त, अन्त्रशोध, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बीमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

(2) जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैडों के होटलों दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले, फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिये छ.ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

(3) जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टिका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

(4) यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 30 मार्च 2017

क्रमांक 2955/न्या.लि./2017.—पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के पत्र क्रमांक पुअ/राय/याता/112/2017 दिनांक 28-03-2017 के अनुसार वर्तमान में जिले में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्र अब शहरी क्षेत्र में तब्दील होते जा रहे हैं. जिसके कारण आम जनता बाजार/हाट/सैर सपाटा के लिए ढलते शाम व रात का चुनाव करते हैं जिसके कारण शहर के अन्दर यातायात का दबाव काफी बढ़ने लगी है जिससे सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है.

पूर्व में आम जनों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा व सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु उर्दना बेरियर, रामपुर बेरियर, जिंदल बेरियर, चिराईपानी बेरियर, नंदेली तिराहा की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश को प्रात: 6.00 बजे से 8.30 बजे तक तथा दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तथा प्रतिबंधित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के प्रतिवेदनानुसार लोक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से मैं अलरमेलमंगई डी, जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्दना बेरियर, रामपुर बेरियर, जिंदल बेरियर, चिराईपानी बेरियर, नंदेली तिराहा से भारी वाहन ट्रक-ट्रेलर का शहर में प्रवेश प्रात: 6.00 बजे से 8.30 बजे तक, दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे एवं शाम 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करती हूं.

अलरमेलमंगई डी.
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक/1006/व.भू.उ.प्र./न.ग्रा.नि./2017.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गनियारी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं उसकी प्रति उप तहसील के कार्यालय भवन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी, जिला-बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. में दिनांक 23-02-2017 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है :—

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम लमेर, भाड़म, घुटकू एवं देवरीकला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम देवरीकला, भरनी एवं खजुरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम खजुरी, चोरभट्ठीखुर्द, बेलटुकरी, घोंघा, नेवरा भरारी एवं मोहनभाठा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मोहनभाठा, पथर्रा, भौवाकापा भुण्डा नेवरा एवं लमेर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नया कंपोजिट बिल्डिंग, कलेक्टोरेट परिसर बिलासपुर छ.ग. को सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय उप तहसील गनियारी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 1006/व.भू.उ.प्र./T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Ganiyari planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection w.e.f. 23-02-2017 in the Office of the Sub Tehsil Ganiyari, Office of the S.D.O. (Revenue) Kota, District-Bilaspur and Office of the Joint Director Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur during Office hours of working days. The limits of Bilaspur Planning Area are detailed in Schedule given below :—

INDEX

NORTH	:	Village Lamer, Bhadam, Ghutku and upto the North limit of Devrikala.
EAST	:	Village Devrikala, Bharni and upto the East Limit of Khajuri.
SOUTH	:	Village Khajuri, Chorbhatthikhurd, Beltukri, Ghongha, Nevra, Bharari and upto the South limit of Mohanbhatha.
WEST	:	Village Mohanbhata, Patharra, Bhauvakapa, Bhunda, Nevra and upto the West limit of Lamer.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur,, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Director.

Inspection Site—

1. Office of the Sub Tehsil Ganiyari, District Bilaspur (C.G.)
2. Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building Collectorate Premises Bilaspur.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.